ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

07 November 2024

निजी संपत्ति अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सन्दर्भ: हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसमें कहा गया कि राज्य को सार्वजनिक उपयोग हेतु निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने का अनियंत्रित अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया यह निर्णय संपत्ति के अधिकारों और भारत की आर्थिक नीतियों की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

- ऐतिहासिक दृष्टि से, राज्य के पास 'सामान्य भलाई' के नाम पर निजी संपत्ति अधिग्रहित करने का व्यापक अधिकार था, लेकिन यह निर्णय उन पारंपरिक सिद्धांतों से भिन्न है, जोकि भारत के समाजवादी आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाते थे।
- यह निर्णय अब एक अधिक उदार, बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करता है। यह निर्णय संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) और भाग IV (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत) के बीच परस्पर संबंधों पर आधारित है, जो व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य की शक्ति के बीच संतुलन को रेखांकित करता है।

अनुच्छेद 300A- संपत्ति का अधिकार:

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 31, जो पहले संपत्ति के मौलिक अधिकार की गारंटी प्रदान करता था, को 44वें संशोधन (1978) द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसके स्थान पर, अनुच्छेद 300A लागू किया गया, जोकि यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति एक कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार।
- न्यायालय के निर्णय में इस पर बल दिया गया कि राज्य केवल वैध प्रक्रियाओं के माध्यम से ही संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, साथ ही उचित मुआवजा और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करनी होगी। यह प्रावधान संपत्ति की मनमानी जब्ती को रोकता है।

अनुच्छेद 19(1)(f)–संपत्ति का अधिकार (1978 से पहले)

- 1978 से पूर्व, अनुच्छेद 19(1)(f) संपत्ति अर्जित करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता था। हालांकि, 44वें संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था, फिर भी न्यायालय ने इसके ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करते हुए यह सुनिश्चित किया कि राज्य को संवैधानिक सीमाओं के भीतर संपत्ति के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।

'सार्वजनिक उद्देश्य' और प्रख्यात डोमेन का सिद्धांत:

- राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए प्रख्यात डोमेन सिद्धांत के तहत संपत्ति का अधिग्रहण करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन न्यायालय ने 'सार्वजनिक उद्देश्य' की परिभाषा को सीमित कर दिया है। इसने उन व्यापक व्याख्याओं को अस्वीकार कर दिया है जो मनमाने ढंग से राज्य अधिग्रहण की अनुमति देती हैं, और इस पर जोर दिया है कि ऐसे अधिग्रहणों का उद्देश्य प्रत्यक्ष सार्वजनिक कल्याण, आर्थिक विकास, या राष्ट्रीय हित की सेवा करना चाहिए।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (भाग IV):

- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (डीपीएसपी) सरकारी नीति के निर्माण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, परंतु ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते। न्यायालय ने अनुच्छेद 39(B) का उल्लेख करते हुए कहा कि यह राज्य को आम भलाई के उद्देश्य से संसाधनों के वितरण का निर्देश देता है।
- न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि विकसित आर्थिक परिप्रेक्ष्य में निजी संपत्ति के अधिकारों और सार्वजनिक कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
- 'सार्वजनिक हित' के नाम पर संपत्ति के अधिग्रहण की व्यापक व्याख्या को अस्वीकार करते हुए, न्यायालय ने उचित मुआवजे, उचित प्रक्रिया और स्पष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के महत्व पर जोर दिया है। यह निर्णय भारत की बाजार अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

मदरसा अधिनियम की संवैधानिक वैधता वैध

सन्दर्भ: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 (मदरसा अधिनियम) की संवैधानिक वैधता को यथावत रखते हुए उसे मंजूरी प्रदान की है, हालांकि इसमें ऐसे प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया है जो बोर्ड को फाजिल और कामिल जैसी उच्च डिग्रियाँ प्रदान करने का अधिकार देते हैं।

- उल्लेखनीय है कि मार्च 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को संविधान के मूल ढांचे और धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया था।
- उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 (जिसे प्रायः मदरसा

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

अधिनियम कहा जाता है) उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर मदरसों के नियमन हेतु एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। मदरसे मुख्यत: इस्लामी शिक्षा संस्थान हैं, जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं।

- इस अधिनियम का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि मदरसे एक मानकीकृत पाठ्यक्रम का पालन करें और राज्य द्वारा निर्धारित शैक्षिक मानदंडों का अनुपालन करें, जिससे उनकी शैक्षिक गुणवत्ता और मान्यता बनी रहे।

निर्णय के मुख्य बिंदु:

संवैधानिक वैधता बरकरार रखी गई:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मदरसा अधिनियम की संवैधानिक वैध ता को बरकरार रखते हुए कहा कि मदरसों में शिक्षा प्रणाली, विशेष रूप से धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के घटकों के संबंध में विनियमन राज्य की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मदरसे न्यूनतम स्तर की शिक्षा प्रदान करें, जिससे छात्र समाज और अर्थव्यवस्था में प्रभावी रूप से भाग ले सकें।

उच्च शिक्षा का विनियमन:

- न्यायालय ने उस प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसके तहत मदरसा बोर्ड को फाजिल और कामिल जैसी डिग्रियाँ देने की अनुमति थी। यह इसलिए किया गया क्योंकि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 से टकराता था, जो भारत में उच्च शिक्षा को नियंत्रित करता है।
- न्यायालय ने फैसला दिया कि उच्च शिक्षा का विनियमन यूजीसी के अधिकार क्षेत्र में आता है और राज्य शिक्षा के इस पहलू में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

धार्मिक शिक्षा और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा:

- न्यायालय ने कहा कि मदरसे धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन राज्य को इन संस्थानों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को विनियमित करने का अधि कार है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और क्षमता सुनिश्चित की जा सके।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक संस्थानों (जैसे मदरसा) को अपनी धार्मिक शिक्षा को प्रबंधित करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें धर्मनिरपेक्ष विषयों के लिए राज्य के शिक्षा नियमों का पालन करना होगा।

राज्य का दायित्व:

- न्यायालय ने राज्य के दायित्व को रेखांकित किया, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्र धर्मनिरपेक्ष विषयों में एक निश्चित स्तर की दक्षता प्राप्त करें, ताकि वे समाज और अर्थव्यवस्था में प्रभावी रूप से भाग ले सकें।
- इसने यह भी कहा कि मदरसे धार्मिक संस्थान होते हुए भी, उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है, और उन्हें धर्मनिरपेक्ष विषयों में राज्य के मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

अल्पसंख्यक अधिकार:

- न्यायालय ने पुन: यह पुष्टि की कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
- हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अधिकार पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं है। राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नियम लागू कर सकता है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान निर्धारित शैक्षिक मानकों को पूरा करें, जैसे कि शिक्षण की गुणवत्ता और छात्र कल्याण।

धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा का अधिकार:

- निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम सभी शैक्षिक संस्थानों पर लागू होता है, लेकिन संविधान के प्रावधानों के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थानों को इसके लागू होने से छूट दी जा सकती है। मदरसा अधिनियम, अनुच्छेद 21ए (शिक्षा का अधिकार) का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि यह धार्मिक शिक्षा के अधिकार का सम्मान करते हुए सभी छात्रों को शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित करता है।

पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव

संदर्भ: हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए 'पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024' को लागू किया है।

नए नियमों की मुख्य विशेषताएं:

- **चयन समिति की संरचना:**
  - » **अध्यक्ष:** डीजीपी के चयन के लिए जिम्मेदार समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे।

» **सदस्य:**
  - ➢ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव
  - ➢ यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) से एक नामित व्यक्ति
  - ➢ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के अध्यक्ष या नामित व्यक्ति
  - ➢ गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
  - ➢ एक सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक (डीजीपी

- **प्रक्रिया में बदलाव:**
  - » पहले, उत्तर प्रदेश सरकार डीजीपी पद के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) को भेजती थी , जो बाद में चयन प्रक्रिया को संचालित करती थी।
  - » नए नियम के अनुसार यह प्रणाली अब एक राज्य स्तरीय समिति-आधारित प्रक्रिया से बदल दी गई है, जिसका उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में स्वतंत्रता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

उद्देश्य और लक्ष्य:

- इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो और पारदर्शी और स्वतंत्र तरीके से संचालित हो।
- यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 2006 के निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है, जिसमें यह सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया था कि पुलिस नियुक्तियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग रखा जाए। साथ ही, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और कानून के शासन की प्रभावी स्थापना के लिए व्यापक पुलिस सुधारों को लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था।

पात्रता मापदंड:

- डीजीपी पद के इच्छुक अधिकारियों के पास डीजीपी रिक्ति की तिथि से न्यूनतम छह महीने की शेष सेवा होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि केवल वे अधिकारी विचार के योग्य होंगे जिनका कार्यकाल पर्याप्त बचा हुआ है।

डीजीपी के लिए न्यूनतम कार्यकाल:

- एक बार नियुक्ति के बाद, डीजीपी को न्यूनतम दो वर्षों का कार्यकाल पूरा करना अनिवार्य है। इस कदम का उद्देश्य नेतृत्व में स्थिरता लाना और उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यक्षमता में निरंतरता बनाए रखना है।

हटाने की शर्तें:

- डीजीपी को उनके दो वर्षीय कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है यदि उनके विरुद्ध आपराधिक या भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हों या यदि वे अपने दायित्वों के निर्वहन में विफल रहते हैं। ये शर्तें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप हैं, ताकि पद पर आसीन व्यक्ति को जवाबदेह बनाया जा सके

मुख्य निहितार्थ:

- नए नियम उत्तर प्रदेश पुलिस बल की व्यावसायिकता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास हैं।
- इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस प्रभावी, निष्पक्ष और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर कार्य करे।
- पारदर्शिता और योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से पुलिसिंग में जनता का विश्वास मजबूत करने का प्रयास किया गया है।

'चलो इंडिया अभियान'

सन्दर्भ: हाल ही में, पर्यटन मंत्रालय अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए श्चलो इंडियाश अभियान शुरू कर रहा है। इस पहल के तहत ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों द्वारा नामित विदेशी नागरिकों को नि:शुल्क ई-वीजा प्रदान किया जाएगा। यह अभियान भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने और देश के लिए एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाने के प्रयास का हिस्सा है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **नि:शुल्क ई-वीजा:** प्रत्येक ओसीआई (व्अमतेमं ब्पजप्रमद वf प्दकपं) कार्डधारक अधिकतम पाँच विदेशी नागरिकों को नि:शुल्क ई-वीजा के लिए नामांकित कर सकता है। इस पहल के तहत कुल एक लाख ई-वीजा की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- **पंजीकरण के लिए विशेष पोर्टल:** ओसीआई कार्डधारक एक समर्पित पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे। सत्यापन के उपरांत उन्हें एक कोड प्राप्त होगा, जिसका उपयोग नामांकित विदेशी नागरिक ई-वीजा के आवेदन के लिए कर सकेंगे।
- **लक्षित बाजार:** इस पहल का मुख्य केंद्र ब्रिटेन है, जहां भारतीय प्रवासियों की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है।

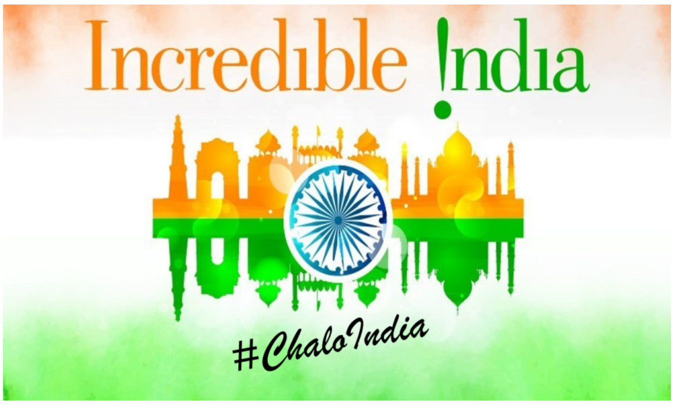

अभियान के उद्देश्य:

- **पर्यटन को बढ़ावा देना:** इस अभियान का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि करना है। विशेष रूप से, यह कोविड-19 महामारी के कारण पर्यटन क्षेत्र में आई गिरावट को पुनः सशक्त करने पर केंद्रित है।
- **ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देना:** वैश्विक भारतीय प्रवासियों की भागीदारी का उपयोग करते हुए, इस अभियान का उद्देश्य भारत को एक जीवंत, विविध और आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है।
- **ब्रिटेन से भारत में पर्यटन वृद्धि:** ब्रिटेन भारत के विदेशी पर्यटकों का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत बाजार है। हाल के वर्षों में लगभग 1.9 मिलियन ब्रिटिश नागरिक भारत यात्रा कर चुके हैं।

ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) योजना का अवलोकन:

- अगस्त 2005 में शुरू की गई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) योजना भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) को एक विशेष पंजीकरण स्थिति प्रदान करती है। यह उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के नागरिक थे या उस समय भारतीय नागरिक बनने के योग्य थे। इस योजना के अंतर्गत, ऐसे व्यक्तियों को विदेशी पासपोर्ट रखते हुए भारत से अपना संबंध बनाए रखने की अनुमति दी जाती है।

पात्रता मापदंड:

- **पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक:** ऐसे व्यक्ति जिनके माता-पिता या दादा-दादी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हों, ओसीआई आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं।
- **विदेशी सैन्यकर्मी:** सेवारत और सेवानिवृत्त विदेशी सैन्यकर्मी ओसीआई आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि, किसी भारतीय नागरिक या ओसीआई धारक के विदेशी मूल के जीवनसाथी, जिनका विवाह पंजीकृत है और जो कम से कम दो वर्षों से साथ रह रहे हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

ओसीआई कार्ड रखने के लाभ:

- **आजीवन वीजा:** भारत भ्रमण के लिए एक बहु-प्रवेश, बहु-उद्देश्यीय वीजा प्रदान किया जाता है, जिसे बार-बार नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती।
- **पंजीकरण से छूट:** ओसीआई धारकों को भारत में किसी भी अवधि के प्रवास के लिए स्थानीय पुलिस के पास पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती।

ओसीआई धारकों के लिए सीमाएं:

- **मतदान का अधिकार नहीं:** ओसीआई धारक भारतीय चुनावों में मतदान नहीं कर सकते और भारतीय संसद, विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य भी नहीं बन सकते।
- **संवैधानिक पदों के लिए अयोग्यता:** वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जैसे प्रमुख संवैधानिक पदों पर आसीन नहीं हो सकते।
- **रोजगार प्रतिबंध:** वे भारत में सरकारी नौकरियों के लिए पात्र नहीं हैं।

पॉवर पैक्ड न्यूज़

VINBAX 2024

- वियतनाम-भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास, VINBAX 2024, 4-23 नवंबर से हरियाणा के अंबाला में शुरू हुआ है। इस पांचवें संस्करण का उद्देश्य भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना और अंतर-संचालन को बढ़ावा देना है।
- पहली बार, भारतीय सेना और वायु सेना दोनों के कर्मी भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है, जिसने 2016 में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की।
- VINBAX संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा वार्ता, क्षमता निर्माण और समुद्री सहयोग के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देता है, भारत-वियतनाम संबंधों को मजबूत करता है और इंडो-पैसिफिक में क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबद्ध स्वास्थ्य सम्मेलन (IAHC 2024)

- वैश्विक संबद्ध स्वास्थ्य नेटवर्क (GAHN) को तीसरे सिंगापुर संबद्ध स्वास्थ्य सम्मेलन के साथ 1 नवंबर, 2024 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संबद्ध स्वास्थ्य सम्मेलन (IAHC 2024) में लॉन्च किया गया था।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- इस कार्यक्रम में 18 से अधिक देशों के 1,100 संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों (AHP) और छात्रों ने भाग लिया। नेशनल यूनिवर्सिटी हेल्थ सिस्टम (NUHS) द्वारा सिंगहेल्थ और नेशनल हेल्थकेयर ग्रुप (NHG) के साथ साझेदारी में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना था।
- थीम, "एडवांसिंग एलाइड हेल्थ: डायवर्स इन कॉलिंग, यूनाइटेड इन पर्पस", ने विभिन्न विशेषज्ञताओं में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के सामूहिक मिशन पर प्रकाश डाला।

लिग्नोसैट

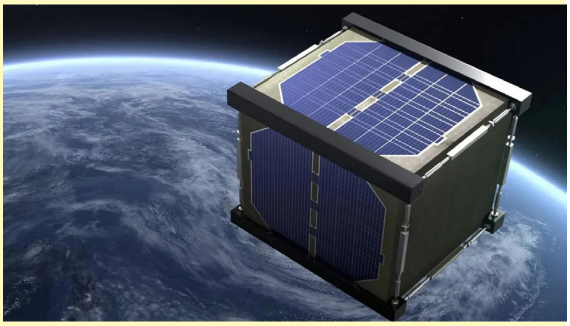

- जापान दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह, लिग्नोसैट का परीक्षण करने के लिए तैयार है, जिसे क्योटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने होमबिल्डर सुमितोमो फॉरेस्ट्री के सहयोग से विकसित किया है।
- लकड़ी के लिए लैटिन शब्द के नाम पर रखा गया उपग्रह, स्पेसएक्स रॉकेट पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर लॉन्च किया जाएगा। यह छह महीने तक कक्षा में रहेगा ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि मैगनोलिया के पेड़ों से प्राप्त जापानी होनोकी लकड़ी अंतरिक्ष की चरम स्थितियों का कितना अच्छा सामना कर सकती है।
- यह अभिनव सामग्री पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि यह पुन: प्रवेश करने पर हानिरहित रूप से जल जाएगी, पारंपरिक उपग्रहों के विपरीत जो विघटित होने पर प्रदूषणकारी धातु के कण छोड़ते हैं।